न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/सीलिंग/2002/1695/हनुमानगढ़।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ़।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– धन्नाराम पुत्र टिकू (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/1. लूणा पुत्र धन्नाराम,
1/2. पन्ना पुत्र धन्नाराम,

2– मनफूल पुत्र टिकू (मृतक) जरिये वारिसान :–
2/1. भादरराम पुत्र मनफूल,
2/2. निकूराम पुत्र मनफूल (मृतक) जरिये वारिसान :–
2/2/1. तुलछा पत्नी निकूराम,
2/2/2. अमीलाल पुत्र निकूराम,
2/2/3. सुभाष पुत्र निकूराम,
निवासीगण 1 एनडब्ल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2/2/4. हीरा पुत्री निकूराम पत्नी राजेन्द्र कौम जाट निवासी रूपाणा तहसील सिरसा राज्य हरियाणा।

3– रामनारायण पुत्र टिकू मृतक जरिये वारिसान :–
3/1. रूकमा पत्नी रामनारायण,
3/2. गोपीराम पुत्र रामनारायण,
3/3. लीलूराम पुत्र रामनारायण,
3/4. दलीप पुत्र रामनारायण,
निवासीगण 1 एनडब्ल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5/5. गुड्डी पुत्री रामनारायण पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी पहाड़सर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

.... प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री केसर लाल मीणा, सदस्य
–––––

उपस्थिति :–
श्री शान्ति प्रकाश ओझा, विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री राजेश गौतम व श्री अभिषेक कौशिक, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।
–––––

निर्णय ***दिनांकः– 25/02/2026.***

1– हस्तगत अपील राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–23(2)(क) के तहत् न्यायालय अपर जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपील संख्या 48/2000 में पारित निर्णय दिनांक 02–07–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत धारा 10 के तहत् घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर प्रत्यर्थीगण को धारा 11 के तहत् नोटिस जारी किया जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थीगण द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार उपनिवेशन से रिपोर्ट तलब की गई किन्तु रिपोर्ट अस्पष्ट व अधूरी होने के कारण तहसीलदार रावतसर से पुनः रिपोर्ट तलब किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार धन्ना के पास 71.12 बीघा कमाण्ड व 11.06 बीघा अनकमाण्ड, मनफूल के पास 40.18 बीघा कमाण्ड व 25.11 बीघा अन कमाण्ड एवं रामनारायण के पास 40.18 बीघा कमाण्ड व 25.07 बीघा अनकमाण्ड भूमि मानी तथा अनकमाण्ड को कमाण्ड में परिवर्तित करने पर धन्ना के पास 73 बीघा कमाण्ड एवं मनफूल के पास 44 बीघा कमाण्ड एवं रामनारायण के पास भी 44 बीघा कमाण्ड भूमि पाई व धन्ना के परिवार में 2 इकाई मानी तथा मनफूल के परिवार में स्वयं की प्रथम इकाई व रामनारायण के परिवार में 7 सदस्य मानते हुए आराजी को सीलिंग से कम होना मानकर सीलिंग कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय दिनांक 31–12–1999 को पारित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा अपील अपर जिला कलक्टर नोहर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय दिनांक 02–07–2001 से प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। इस प्रकार उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विपक्षीगण द्वारा स्वयं व उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा धारित भूमि जो विभिन्न तहसील में थी इस बाबत् कोई जांच नहीं की गई। बिना जांच किये ही निर्णय पारित किया गया है। विपक्षीगण द्वारा जो अतिरिक्त इकाईयों का लाभ बतौर बालिग पुत्र प्राप्त किया जा रहा है इसके लिये अधीनस्थ व अपीलीय न्यायालय में ऐसी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह सिद्ध होता कि अप्रार्थी का पुत्र बालिग पुत्र था एवं वह अतिरिक्त इकाई का अधिकारी था। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि प्रश्नगत आदेश पारित करने से पूर्व सीलिंग प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण व उसके परिवार के द्वारा धारित भूमि बाबत् विधिवत जांच करते, किन्तु इस बाबत् परिवार के बारे में कोई जांच नहीं की। बिना

किसी आधार व साक्ष्य के परिवार के सदस्यों की संख्या जो उन्होंने बताई उसे स्वीकार कर निर्णय प्रदान करने में गंभीर त्रुटि कारित की गई है। मियाद अधिनियम के आवेदन बाबत् यह भी कथन किये कि पत्रावली जिला कलक्टर हनुमानगए को प्राप्त होने व विधिक प्रकोष्ठ से जांच कराने एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर संबंधित नकलें प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर अपील पेश की गई है, जिसमें हुए विलंब को सद्भाविक मानते हुए अपील अंदर मियाद शुमार करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 02–07–2001 व 31–12–1999 अपास्त कर सीलिंग से अधिक भूमि को राज्यहित में अधिग्रहण किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया।

4– उक्त कथनों का विरोध करते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के अनुकूल होकर पुष्टि किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा मियाद बाहर अपील पेश की गई है तथा अपील देरी से पेश करने के संबंध में कोई सकारात्मक कारण भी प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाये गये हैं। प्रत्यर्थीगण के पास दिनांक 26–09–1970 को लुणा पन्ना पि. धन्नाराम के पास 73 बीघा कमाण्ड तुल्य तथा मनफूल पुत्र टिकु के पास 44 बीघा कमाण्ड तुल्य एवं रामनारायण के पास 44 बीघा कमाण्ड तुल्य भूमि थी। धन्नारा स्वयं फौत हो चुका है तथा धन्नाराम के दो बालिग पुत्र लूणाराम व पन्नाराम है। प्रत्यर्थी लूणा व पन्ना के पास 73 बीघा कमाण्ड तुल्य भूमि धारण में थी तथा दो प्राथमिक इकाई तक भूमि रखने का पात्र था। जबकि धारण में 73 बीघा ही भूमि है। प्रत्यर्थी मनफूल के पास 44 बीघा कमाण्ड तुल्य भूमि धारण में है उसकी प्राथमिक इकाई एवं परिवार के अतिरिक्त दो सदस्यों के धारण भूमि से कम भूमि है तथा रामनारायण के परिवार के पास 44 बीघा कमाण्ड तुल्य भूमि है। रामनारायण के परिवार में भी सात सदस्य है। इस प्रकार प्रत्यर्थी रामनारायण की प्राथमिक इकाई एवं अतिरिक्त सदस्यों की तुलना में रामनारायण के धारण में कम भूमि है। इस प्रकार प्रत्यर्थी के पास राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत जोत सीमा से कम भूमि थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण की समस्त भूमि की विधि पूर्वक जांच की गई जो पत्रावली से स्पष्ट है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की प्रथम अपील को खारिज किया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिसमें कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से हस्तगत द्वितीय अपील खारिज की जाये।

5– उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं आक्षेपित निर्णयों का भी अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील के निस्तारण हेतु निम्न अवधार्य बिन्दु विचारणीय है कि :–

''आया उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 31–12–1999 पारित करने में एवं न्यायालय अपर जिला कलक्टर नोहर द्वारा निर्णय दिनांक 02–07–2001 से उक्त निर्णय दिनांक 31–12–1999 की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की है ?''

6– हस्तगत प्रकरण राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 से संबंधित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय पारित करते हुए प्रत्यर्थीगण को उक्त अधिनियम के तहत् दायर सीलिंग कार्यवाही को खारिज किया है। पत्रावली पर यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अन्य क्षेत्रों में भूमि धारित होने अथवा नहीं होने के सबंध में पर्याप्त जांच नहीं की गई एवं ना ही प्रत्यर्थीगण के परिवार के संबंध में कोई जांच की गई है। प्रस्तुत घोषणा पत्र में यह अंकित है कि धन्नाराम फौत हो चुका है, धन्नाराम की मृत्यु दिनांक 06–04–1973 से पूर्व हुई है, इस तथ्य का कोई कोई प्रामाणित साक्ष्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रावतसर की रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर ही नहीं है, केवल मात्र पटवारी के हस्ताक्षर है। राजस्थान सीलिंग अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अनुसार प्रत्यर्थीगण की भूमि की गणना भी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए सीलिंग कार्यवाही की कार्यवाही निरस्त करने में एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 31–12–1999 की पुष्टि करने में गंभीर त्रुटि कारित किये जाने के फलस्वरूप हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक स्वीकार की जाकर पत्रावली पुनः उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़ को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7– परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–23(2)(क) आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–12–1999 एवं न्यायालय अपर जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–07–2001 अपास्त किये जाते हैं तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त पैरा संख्या–6 में प्रदत्त मत अनुसार पुनः आवश्यक जांच करते हुए उभय पक्ष को सुनकर विधिनुसार पुनः निर्णय पारित करें।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। उभय पक्ष को जरिये अधिवक्तागण इस निर्णय की सूचना दी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य